न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर केम्प गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

तारीख रजू– 09/02/2016

अपील संख्या 19/16

1– रामप्रसाद 2– बत्तीलाल पि. छिंगा जाति मीना निवासी ग्राम डोब तहसील वजीरपुर। ––अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,वजीरपुर। ——— रेस्पो0

दिनांक–18/05/2016

निर्णय

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 379/15 मे पारित आदेश दिनांक 14/10/2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलाथीगण को ग्राम डोब की आराजी खसरा नम्बर 1045 रकवा 0.53 हैक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अतिक्रमित आराजी अपीलार्थीगण के खातेदारी के खेतो मे मध्य मे है तथा पुराना कब्जा है तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने पूर्व मे इसी अतिक्रमित आराजी बाबत यह निर्णय पारित किया था कि राज्य सरकार के परिपत्रो के अनुसरण मे अपीलार्थीगण को नियमन की पात्रता के बारे मे सुना जावे तथा सुनने के पश्चात यथोचित आदेश पारित किया जावे परन्तु अदालत मातहत ने इस सब तथ्यो पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने व अपीलार्थीगण का अतिचारित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थीगण ने अदालत हाजा के समक्ष माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय अपील प्रकरण संख्या 161/94 निर्णय दिनांक 20/01/96 उनवानी छिगा बनाम सरकार की छाया प्रति पेश की है जिसमे ग्राम डोब की उक्त अतिक्रमित आराजी ख.न.1045 के बारे मे यह मत व्यक्त किया है कि विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का संवत 2023 से लगातार कब्जा चला आ रहा है लेकिन अदालत मातहत ने प्रार्थी को नियमन हेतु नही सुना है। अतिक्रमित आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि के बीच मे स्थित होना बताया है तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अदालत मातहत व अतिरिक्त जिला कलेक्टर करोली का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड कर यह निर्देशित किया है कि अपीलार्थी को नियमन के बिन्दु पर सुना जावे तत्पश्चात यथोचित निर्णय पारित किया

जावे परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे इस बाबत कोई उल्लेख नही है कि अपीलार्थीगण को माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की पालना मे सुना जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14/10/2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार वजीरपुर को अपीलार्थीगण को माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 20/01/1996 की पालना मे सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/5/16

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
केम्प गंगापुरसिटी